न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री करताराम पुत्र रुपाजी, जाति- मीणा, निवासी- झाडोलीवीर, तहसील-शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 45/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अशोक कुमावत, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 13 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा प्रकरण संख्या: 291/2017-18 में पारित निर्णय दिनांक 22.3.2018 बाबत ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 रकबा 0.07 बीघा किस्म रास्ता भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उप तहसीलदार, कैलाशनगर के पत्र क्रमांक:राजस्व/2018/288 दिनांक 22.5.2018 के द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की दिनांक 11.7.2018 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया एवं न ही कोई फसल बोई है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को विवादित भूमि का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति की सही रुप से जांच किये बिना ही गलत रुप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित भूमि मौके पर कभी भी रास्ते के रुप में उपयोग में नही आई है एवं न ही मौके पर अपीलार्थी का अतिक्रमण है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि विवादित भूमि के मौके से पूर्व में कभी भी अपीलार्थी को बेदखल नही किया गया है एवं न ही विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी ने कभी कोई अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। विवादित भूमि के मौके पर अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान उपतहसीलदार, कैलाशनगर के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, झाडोलीवीर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 कुल रकबा 8.14 बीघा में से 0.07 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल बोने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि पर उपस्थित हुआ, लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी विवादित रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया था जिस पर उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 20.7.2017 को विवादित भूमि के मौके से अपीलार्थी को बेदखल कर अपीलार्थी का अतिक्रमण मौके से हटाकर रास्ते को सुचारु करवाया था, उसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर पुन: अतिक्रमण किया गया है। प्रकरण में बाद जांच विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, झाडोलीवीर द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 कुल रकबा 8.14 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि में से 0.07 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कैलाशनगर में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 14.3.2018 एवं 22.3.2018 को उपस्थित हुआ, लेकिन बचाव में जवाब एवं साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत नही किये। प्रकरण में उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त खसरा संख्या 814 किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध करने से उप तहसीलदार, कैलाशनगर द्वारा दिनांक 20.7.2017 को अतिक्रमण हटाकर रास्ते को सुचारु किया गया था, उसके बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर पुन: अतिक्रमण कर फसल बोई व रास्ते को अवरुद्ध किया। इस प्रकार, उप तहसीलदार, कैलाशनगर के जवाब में

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

अंकित तथ्यों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि अपीलार्थी ने ग्राम झाडोलीवीर के खसरा संख्या 810 रकबा 0.07 बीघा किस्म रास्ता भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है।

अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही